संख्या: 299 / ख0लि0–मि0ख0अनु0 / 14 दिनांक: 14/01/2016

उपखनिज के निकासी की अनुमति

मै0 सेवफेब डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी– कटोरी मिल, मोहन नगर, गाजियाबाद ने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2015 प्रस्तुत किया है। भूवैज्ञानिक (जिला खनन अधिकारी), गाजियाबाद की तकनीकी जॉच आख्या दिनांक 02.01.2016 पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2016 के द्वारा बेसमेन्ट के निर्माण से निकलने वाले 7 मीटर गहराई तक 40495 घनमीटर साधारण मिट्टी निकासी की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा 40495 घनमीटर साधारण मिट्टी पर रू0 14/-- प्रति घन की दर से देय रायल्टी रू0 5,66,930 /– होती है। इस प्रकार कुल देय रायल्टी रू0 5,66,930/–(रू0 पॉच लाख छियासठ हजार नौ सौ तीस मात्र) ड्राफ्ट सं0 001482 दिनांक 06.01.2016 के द्वारा राजकीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कर दिया है, अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2016 के अन्तर्गत एतद्द्वारा 03 माह के भीतर निम्नवत् शर्त के अधीन बेसमेन्ट निर्माण हेतु 7 मीटर गहराई तक 40495 घनमीटर साधारण मिट्टी निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

तहसील	परगना	ग्राम / स्थान	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल / मात्रा
गाजियाबाद	—	करहेड़ा साहिबाबाद	116 / 1, 1126 / 1, 1131, 1144 / 2, 1145 / 1, 1146एम, 1154 / 1, 1132, 1127मि0, 1128 / 1, 1129, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124 / 1, 1130, 1147, 1148, 1149, 1150, 1146मि0	29548.900 वर्गमीटर भाग में से 5784.53 वर्गमीटर अर्थात् 5785 वर्गमीटर भाग में 7 मीटर गहराई तक बेसमेंट के निर्माण हेतु 40495 घनमीटर साधारण मिट्टी की निकासी 03 माह के भीतर की जायेगी।

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:–

1. आवेदक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही व्यय निश्चित करेगा।
2. आवेदक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. खनन कार्य मैनुअल विधि से किया जायेगा।
4. आवेदक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. खनिज की निकासी की मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक मान्य होगी।
6. प्रत्येक 15 दिन में खनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. निकासी कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि कोई क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
8. यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
9. हाईटेंशन लाईन के टावर से 50 मीटर की दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
10. पक्की रोड, बिजली का खम्भा, नाले तथा सार्वजनिक स्थल आदि से सुरक्षित दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
11. यदि आवेदक द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो निकासी आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से स्वीकृति मानचित्र पत्र संख्या 112/जोन–7/जी0एच0/2014–15 दिनांक 23.07.2015 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21–443/2007–1ए–।।। दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह स्वीकृती आदेश माननीय न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रयूब्नल द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अधीन होगी। तथा जिसका पालन सुनिश्चित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।
14. निदेशक पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 विनीत खण्ड 1 गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/ साधारण मिट्टी खनन /2012 दिनांक 18.12.2012 तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21–443/2007–1ए–।। दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतिरिक्त शर्तें:

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of per law.

14.1.16

कृते जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
2. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सदर गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद।
4. थानाध्यक्ष, संबंधित।
5. मै0 सेवफेब डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी– सी–39/1 बी मेरठ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।

कृते जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।